


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
प्रा० पत्र संख्या 95 वर्ष 2012
भूरा बनाम छीतर वगैरह
प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस के तामील में जा
31.8.2015	<p>पत्रावली पेश हुयी । प्रार्थी एवं प्रार्थी के वकील को रुक रुक कर बार बार आवाज लगाई गई। प्रार्थी एवं प्रार्थी के वकील उपस्थित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा